



नालन्दा समाहरणालय, बिहारशरीफ

(जिला बाल संरक्षण इकाई)

अस्मत विल्ला, कागजी मोहल्ला, भैंसासुर चौक, बिहारशरीफ
ई-मेल—adcpunalanda1@gmail.com



बिहार सरकार

विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान, नालन्दा में संविदा के आधार पर अस्थायी नियोजन हेतु विज्ञापन (विज्ञापन संख्या—01/23)

निदेशक, समाज कल्याण—सह—उपाध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति, बिहार, पटना के पत्रांक— 59 दिनांक— 05.04.2022 के आलोक में समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार, के अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई, नालन्दा द्वारा विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान का संचालन किया जाना है, जिसके लिए विभिन्न रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर अस्थायी नियोजन हेतु पैगैल निर्माण के लिए भारतीय नागरिकों से विहित प्रश्न में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:—

क्र०	पद का नाम एवं कोटि	पदों की संख्या	मानदेय (प्रतिमाह)	उम्र (01.01.2023 को)	भौक्षिक योग्यता	अनुभव
1	मैनेजर / कोर्डिनेटर (अनारक्षित)	01	17500 /—	25—45 वर्ष	समाजकार्य / समाजशास्त्र / मनोविज्ञान / विधि या अन्य किसी भी सामाजिक विज्ञान विषय में स्नातक। अथवा स्नातक के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या प्रतिष्ठित संस्थान से बाल संरक्षण / काउंसलिंग / बाल विकास में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट।	1.बच्चों के विकास कार्य में कम से कम 02(दो) वर्ष का अनुभव। pre school बाल देखरेख संस्थान में कार्य अनुभव को अधिमानत। 2.MS OFFICE पर कार्य करने की क्षमता।
2	सामाजिक कार्यकर्ता—सह—अर्ली चाईल्डहुड एड्युकेटर (केवल महिला हेतु) (अनारक्षित)	01	14000 /—	22—45 वर्ष	समाजकार्य / मनोविज्ञान या अन्य किसी भी सामाजिक विज्ञान में स्नातक।	विषम परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के साथ कार्य करने का कम से कम 01 (एक) वर्ष का अनुभव। किशोर न्याय प्रणाली में कार्य करने वाले को प्राथमिकता।
3	नर्स (केवल महिला हेतु) (अनारक्षित)	01	9000 /—	45 वर्ष तक	सरकार / भारतीय नर्सिंग परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त नर्सिंग संस्थान से नर्सिंग में इण्टरमिडिएट / डिप्लोमा।	हॉस्पिटल / स्वास्थ्य सुविधा में कम से कम 01 (एक) वर्ष का कार्य अनुभव। दिव्यांग / मानसिक दिव्यांग / एड्स बच्चों के साथ कार्य अनुभव को प्राथमिकता।
4	चिकित्सक (अंशकालिक) (अनारक्षित)	01	7500 /—	—	एम0बी0बी0एस0	—
5	आया (केवल महिला हेतु) (अना०—03, अ०पि०प०—01, पि०व०—01, अनु०ज०—01)	06	6000 /—	20—45 वर्ष	साक्षर(लिखने पढ़ने में सक्षम)	—
6	चौकीदार, (केवल महिला हेतु) (अनारक्षित)	01	6000 /—	20—45 वर्ष	साक्षर (लिखने पढ़ने में सक्षम)	—

- इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आवेदन पत्र, बायोडाटा, फोटोग्राफ सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण, अंक पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र(आरक्षण के लाम हेतु) आवासीय प्रमाण पत्र(आरक्षण के लाम हेतु) की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति दिनांक—17.02.2023 के शाम: 05:00 बजे तक ई—मेल—adcpunalanda1@gmail.com पर अथवा निबंधित डाक द्वारा सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, अस्मत विल्ला, कागजी मोहल्ला, भैंसासुर रोड, कब्रिस्तान के बगल में, बिहारशरीफ, नालन्दा(बिहार), पिन—803101 के पते पर भेज सकते हैं। आवेदन पत्र दिनांक—17.02.2023 के शाम 05:00 बजे तक स्वीकार किया जाएगा। उपरोक्त समय—सीमा के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे।
- आवेदक निबंधित डाक द्वारा आवेदन पत्र भेजने के क्रम में लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में "विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान, नालन्दा में नियोजन हेतु आवेदन पत्र एवं पद का नाम" उल्लेख करेंगे।
- उपरोक्त पदों पर नियोजन में बिहार राज्य के मूल निवासियों को ही सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण का लाम देय होगा।
- अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से चयन समिति द्वारा किया जाएगा।
- साक्षात्कार की तिथि को आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति सत्यापन हेतु लाना अनिवार्य होगा।
- उक्त विज्ञापन के संबंध में सभी प्रकार की सूचना यथा—साक्षात्कार में भाग लेने हेतु योग्य अभ्यर्थियों की सूची, अभ्यर्थियों की मेधा सूची आदि का प्रकाशन समय—समय पर <https://nalanda.nic.in> एवं कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा।
- उम्मीदवारों द्वारा आवेदन पत्र में गलत तथ्य या प्रमाण पत्र देने पर उनका नियोजन कमी भी निरस्त किया जा सकता है। यह नियोजन पूर्णतया अस्थायी है। प्रतिकूल आवरण पाए जाने पर नियोजन कमी भी समाप्त कर दी जाएगी।
- सरकार द्वारा आदेश प्राप्त होने या अन्य कारणों से अगर संस्थान का संचालन बंद हो जाता है तो सभी कर्मियों का नियोजन स्वतः समाप्त हो जाएगा।
- अस्थायी नियोजित कर्मियों न तो सरकारी सेवक माने जाएंगे और न ही सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार माने जाएंगे। अस्थायी नियोजन के पश्चात् सरकारी सेवा में नियमितकरण का दावा किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा।
- किसी भी न्यायिक विवाद की स्थिति में अथवा अन्य कारणों से इस विज्ञापन को निरस्त करने का अधिकार सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, नालन्दा के पास सुरक्षित रहेगा।